

किया गया था। पत्रावली वाले जवाब  
 प्रो. पत्र 022R3 CPC दिनांक 13-1-2023  
 को पेश है। ✓

13  $\frac{1}{23}$

पत्रावली पेश हुई। वकील पदमशान, उपर।  
 पत्रावली वाले जवाब प्रो. पत्र 022R3  
 CPC दिनांक 01-02-2023 को पेश है। ✓

01  $\frac{2}{23}$

पत्रावली पेश हुई। इति प्रकरण से संबंधित  
 पत्र को अदम दायरी अदम पैरवी में खारिज  
 किया जा चुका है। अतः न्यायालय उच्च  
 प्रार्थना पत्र को आगे जैरकर रखना  
 उचित नहीं समझता है। ऐसी स्थिति में  
 उच्च प्रार्थना पत्र को खारिज किया  
 जाता है। प्रार्थना पत्र कुमल कुमार  
 टैकर नम्बर से कम किया जावे।  
 निर्णय आज दिनांक 01-02-2023 को  
 सरे इजलास सुनाया गया। ✓

उप ब्रांच अधिकारी  
 अदालत दिल्ली न्यायालय (राज०)